न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ,चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः टी.ए. 75/2016
पंजीयन दिनांकः 11.08.2016

सुरेश पिता भेरूलाल जाति ब्राह्मण निवासी फलवा तहसील जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. भंवरलाल पिता चतरभुज जाति डांगी निवासी फलवा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
2. मु. सापुबाई पत्नि मांगीलाल जाति डांगी निवासी फलवा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
3. हेमराज पिता मांगीलाल जाति डांगी निवासी फलवा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
4. सुश्री सोनिया पुत्री मांगीलाल जाति डांगी निवासी फलवा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
5. कालुराम पिता मांगीलाल जाति डांगी निवासी फलवा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
6. श्रीमती सोसर पत्नि पिन्टु जाति डांगी निवासी फलवा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
7. पिन्टु पिता भंगु जाति डांगी निवासी फलवा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा प्रकरण संख्या 1469/2016 रेवेन्यू प्रार्थना पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 30.06.16

उपस्थित वक्त बहस– 1. ऋषभ कुमार सेठिया – अधिवक्ता अपीलान्ट
2. सुधीर कुमावत – रेस्पोडेन्टगण–1 व 2
3. रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक 10.06.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 प्रार्थीगणो ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 6 व 7 विपक्षीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं वादपत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मौजा फलवा तहसील निम्बाहेडा की आराजी नम्बर 465,466 के सम्बन्ध मे पेश किया, जिस पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 6,7 विपक्षीगण को बिना नोटिस दिये एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 06.06.2016 को जारी की जो दिनांक 30.06.2016 तक जारी की गई। अपीलान्ट विपक्षी ने दिनांक 30.06.2016 को अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे उपस्थित होकर जवाब प्रार्थनापत्र मय दस्तावेज पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

किये तथा जवाब के अनुसार आराजी नम्बर 465 सम्पूर्ण व आराजी नम्बर 466 के 3 आरी भाग पर अपीलान्ट विपक्षी का कुंआ खुदा हुआ है एवं पुराना पशुओ के बाधंने का ढालिया बना हुआ था, जिसको पुराने होने से अपीलान्ट विपक्षी उसी स्थान पर पुनः नवीन निर्माण कर ढालिया बना रहा है, जिसका काफी निर्माण भी हो चुका है। अपीलान्ट विपक्षी के खातेदारी की आराजी नम्बर 463 व 464 पर आने-जाने का रास्ता भी जिसके दस्तावेजी सबूत व फोटो अपीलान्ट विपक्षी ने अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किये। अधीनस्थ न्यायालय का लोक अदालत शिविर दिनांक 30.06.2016 को लोक अदालत की भावना से ग्राम फलवा तहसील निम्बाहेडा मे नियत था। अपीलान्ट विपक्षी मय जवाब दस्तावेज के साथ फलवा के राजस्व शिविर मे उपस्थित हुआ। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट विपक्षी को राजीनामा करने के लिये कहा तथा राजीनामे की बात हेतु दिनांक 01.07.2016 को निम्बाहेडा मुख्यालय पर उभयपक्षो को बुलाया गया। दिनांक 01.07.2016 को जब अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट उपस्थित हुआ तो पता लगा कि अपीलान्ट के जाने के बाद अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने दिनांक 06.06.2016 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को दिनांक 30.06.2016 को अपीलान्ट विपक्षी को बिना सुने कन्फर्म की गई।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 30.06.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण विपक्षी सं. 1 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। इस न्यायालय मे अपीलान्ट विपक्षी की ओर से अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई। व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 6 व 7 के विरूद्ध गलत ढंग से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। अपीलान्ट की ओर से अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमे निवेदन किया कि आराजी नम्बर 466 व 465 दोनो नम्बर का वर्तमान भू-प्रबन्ध मे आराजी नम्बर 278 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा थे। वर्तमान आराजी नम्बर 465 पर अपीलान्ट के पिता भेरूलाल ने कुंआ खुदवाया था जिसका अपीलान्ट विपक्षी के पिता भेरूलाल ने विघुत कनेक्शन भी लिया है। भेरूलाल का निधन हो गया है। आराजी नम्बर 465 रकबा 0.01 हैक्टेयर सम्पूर्ण रूप से अपीलान्ट का है, जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी कर रहा है। रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण का उक्त आराजीयात का कोई स्वत्व अधिकार आधिपत्य स्वीकार नही है। रेस्पोडेन्ट मोहनलाल व उसके छोटे भाई मांगीलाल जिनके पिता चतुरर्भुज डांगी है। दिनांक 28.10.1987 को रूबरू गवाहान भंवरलाल, मांगीलाल पिता चतरर्भुज डांगी, निवासी फलवा ने आराजी नम्बर 277 तादादी 1 बीघा 1 बिस्वा आराजी नम्बर 288 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा 3000/- रू. मे रहन बिल कब्ज किया था जिसके रहन का इकरारनामा रेस्पोडेन्ट भंवरलाल, मांगीलाल ने रूबरू गवाह निष्पादित कर अपीलान्ट विपक्षी को सुपुर्द किया, जिसकी फोटो प्रति जवाब के साथ पेश की गई। वह यह निवेदन किया गया कि आराजी नम्बर 266 पर कोई काश्त नही होती है। आराजी नम्बर 266 रेस्पोडेन्ट भंवरलाल व मांगीलाल के वारिसान रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 शंकर व भेरूलाल डांगी के मकान बने हुए है जो वर्तमान मे विपक्षी सं. 2 व 3 के कब्जे मे है। इसी आराजी नम्बर नाथु पिता सोराम का मकान बना हुआ है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 चाह नम्बर

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

465 व आराजी नम्बर 466 के दक्षिण भाग कुं आ, आराजी नम्बर 465 पर कब्जा सन् 1987 के पूर्व से है जिसको रेस्पोडेन्ट सं. 1 व मांगीलाल के वारिसान ने स्वीकार किया है जिससे आराजी नम्बर 465,466 पर रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का कभी कब्जा नही रहा है जिससे रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है। रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण ने गलत तथ्यो के आधार पर बिना कब्जे के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व उक्त प्रार्थना पत्र मे अपीलान्ट की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जा चुका था। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित था फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने पूर्व मे जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 06.06.2016 को बिना गुणावगुण पर निर्णय किये मूलवाद के निस्तारण किये कन्फर्म किये जाने का निर्णय पारित किया है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि विवादित कृषि आराजीयात आराजी नम्बर 465,466 रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण के खतोदारी मे दर्ज रेकार्ड है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 भंवरलाल ने उक्त आराजी पर आई.डी.बी.आई. बैंक शाखा रसुलपुर से लोन ले रखा है जिससे उक्त आराजी आई.डी.बी.आई. बैंक शाखा रसुलपुर के रहन दर्ज है। अपीलान्ट विपक्षी सं. 1 ने जो रहननामा प्रस्तुत किया है। उक्त रहननामा दिनांक 27.10.1987 का है जिसकी अवधि 5 वर्ष की होती है। अपीलान्ट विपक्षी ने राजस्थान राज्य विघुत निगम के जो बिल प्रस्तुत किये गये है, उसमे आराजी नम्बर कई अंकित नही है। ऐसी स्थिति मे आराजी नम्बर 465 पर जो कुंआ अवस्थित है वह अपीलान्ट विपक्षी का होना गलत अंकित किया है। विवादित आराजीयात रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण के खातेदारी की है जिस पर अपीलान्ट विपक्षी की ओर से अनावश्यक दखल अंदाजी की जाने लगी जिससे रेस्पोडेन्टगण प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने दिनांक 06.06.2016 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञ जारी की गई व दिनांक 30.06.2016 को अपीलान्ट विपक्षी का जवाब प्रस्तुत होने पर मूलवाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ विचारण न्यायालय का निर्णय व आदेश न्यायोचित व विधिसम्मत होकर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष के अधिवाक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से विधिपूर्ण अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण 1 से 5 प्रार्थीगण की ओर से मौजा फलवा तहसील निम्बाहेडा की आराजी नम्बर 465 व 466 के सम्बन्ध मे नकल जमाबन्दी मे आराजी नम्बर 465 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आ.चा. दर्ज रेकार्ड होकर उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 के खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड है। अधिवक्ता अपीलान्ट विपक्षी सं. 1 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जवाब प्रार्थना पत्र के साथ रहननामा व विघुत बिल व उक्त आराजीयात पर कुंआ ढालिया अवस्थित होने का फोटोज पेश किये जिसमे कुंआ होना व ढालिया बना हुआ होना प्रतीत होता है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे दिनांक 06.06.2016 को अपीलान्ट विपक्षी सं. 1 के विरूद्ध कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई। जिसमे आगामी पेशी 30.06.2016 नियत की गई। नियत दिनांक को अपीलान्ट विपक्षी सं. 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा बहस सुनी जाकर धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

रेस्पोडेन्ट्गण प्रार्थीगण स्वीकार किया है। रेस्पोडेन्ट्गण प्रार्थीगण विवादित कृषि आराजीयात के खातेदार है, उन्हे अजनबी व्यक्ति के विरूद्ध धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 मे वर्णित नियमो के तहत रेस्पोडेन्ट्गण प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण रहा है। सुविधा का संतुलन भी रेस्पोडेन्ट्गण प्रार्थीगण के पक्ष मे खातेदार होने से है वह अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी रेस्पोडेन्ट्गण प्रार्थीगण खातेदार होने से रेस्पोडेन्ट्गण के पक्ष मे होने से मूलवाद विचारण न्यायालय मे विचाराधीन होने से रेस्पोडेन्ट्गण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किये जाने का आदेश पारित किया है। उक्त कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे मूलवाद अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे विचाराधीन है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 30.06.2016 से प्रभावी है, जिससे विवादित कृषि आराजीयात की यथास्थिति कायम है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 30.06.2016 मे रद्दोबदल किया जाता है तो विवादित कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे पक्षकारान के मध्य अनावश्यक शांति व्यवस्था भंग होने व विवादित कृषि आराजीयात के खुर्द-बुर्द होने की संभावना बनी रहती है। विवादग्रस्त कृषि आराजीयात की मूलवाद के निस्तारण तक यथास्थिति कायम किया जाना न्यायोचित होने से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा कन्फर्म की है, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट विपक्षी सं. 1 की ओर से प्रथम अपील प्रस्तुत है। अपीलान्ट विपक्षी की ओर से प्रस्तुत अपील संहवनीय नही होने से निरस्त योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट विपक्षी सं. 1 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा प्रकरण संख्या 1469/2016 प्रार्थना पत्र निर्णय व आदेश दिनांक 30.06.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली लोटाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़